

2
23

राष्ट्रीय लोक अदालत - 2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस)



प्रकरण संख्या 2033/64
जीसीएमएस न :- 2023/21

निर्णय दिनांक 11.02.2023

बउनवान

1. चन्द्र कला उर्फ मंजू पुत्री नारायण पत्नी श्री बाबूलाल जी जाति बैरवा निवासी बिशनपुरा निवासी बिशनपुरा तहसील कनवास हाल ग्राम 563 तालाब गाव अनन्तपुरा कोटा जिला कोटा।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादीगणउपस्थित :-

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री कैसरीलाल बैरवा
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट
निर्णय

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 को प्रस्तुत हुआ प्रकरण में तहसीलदार कनवास की ओर से प्राप्त जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जवाब सरकार अनुसार वादनी ने ग्रम बिशनपुरा की आराजी खसरा न 279 286 339 441 कुल किता 4 कुल रकबा 1.53 है में राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम मंजू पुत्री नारायण जाति बैरवा सा देह के स्थान पर मन्जू उर्फ चन्द्रकला जाति बैरवा सा देह दर्ज करवाने हेतु वाद दायर किया है वादनी का नाम आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जनआधार कार्ड में नाम चन्द्रकला दर्ज है रसीद संख्या या जनआधार संख्या में वादी का नाम चन्द्रकला पुत्री नारायण पत्नी बाबूलाल दर्ज है अतः वादी द्वारा स्वयं सिद्ध करने सह खातेदारों की पुष्टि तथा वादनी का मौके पर कब्जा काश्त होने पर राजस्व रेकार्ड में नाम मंजू पुत्री नारायण जाति बैरवा सा देह के स्थान पर मन्जू उर्फ चन्द्रकला जाति बैरवा सा देह किये जाने मे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः जवाब सरकार के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के अनुसरण में ग्रम बिशनपुरा की आराजी खसरा न0 279, 286, 339, 441 कुल किता 4 कुल रकबा 1.53 है0 में राजस्व रेकार्ड में कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्न लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्रसं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि जो आदेश के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जानी है।
1	बिशनपुरा तहसील कनवास	81	मंजू पुत्री नारायण हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा देह खातेदार	मंजू उर्फ चन्द्रकला पुत्री नारायण हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा देह खातेदार

निर्णय अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे । निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत 2023 में मजमे आम सुनाया गया

राजेश डागा (आर0ए0एस0)

जिला अधिकारी कनवास

